सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
चैत्र 25, मंगलवार, *शाके* 1947- अप्रेल 15, 2025 *Chaitra 25, Tuesday, Saka 1947- April 15, 2025*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

(खण्ड-प्रथम सीकर)

अधिसूचना

सीकर, अप्रेल 07, 2025

[अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1)]

Rajkaj 14631881 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(150)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार **जिला सीकर में बाईपास एनएच-52 रामु का बास से एसएच-08 कुड़ली सीकर बाईपास निर्माण कार्य के अन्तर्गत रामु का बास एनएच-52 बाईपास सड़क से एसएच-08 कुड़ली तक बाईपास सड़क निर्माण परियोजना** हेतु निम्नानुसार प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित हैं।

क्र.सं.	जिला	तहसील	गांव का नाम	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	सीकर	सीकर	रामु का बास	11.106
2	सीकर	सीकर	दुला की ढ़ाणी	0.932
3	सीकर	सीकर	दासा की ढ़ाणी	9.307
4	सीकर	सीकर	राधाकिशनपुरा	12.802
5	सीकर	सीकर	समर्थपुरा	2.440
6	सीकर	सीकर	नला का बालाजी	6.230
7	सीकर	सीकर	कुड़ली	10.093
8	सीकर	सीकर	कटराथल	4.432
9	सीकर	सीकर	शिवसिंहपुरा	2.328

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-प्रथम सीकर द्वारा**"स्ट्रेंथ इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 53/15 प्रताप नगर सांगानेर टोंक रोड, जयपुर 302033"**एजेन्सी का चयन किया गया हैं।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गांव में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता

अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात् प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा।
3. जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में सम्बन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्याकंन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शुन्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र:-

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई

कार्यालय अधिशाषी अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग,

खण्ड-प्रथम सीकर, जिला- सीकर (राज) 332001

फोन नं. 9414071125

ई-मेलः skr_ee@rediffmail.com

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

स्ट्रेंथ इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

प्रतिनिधि: पूनम गोयल, मोबाईलः 8209613562

संतोष चौधरी, मोबाईलः 9929980238

कार्यालयः 53/15 प्रताप नगर सांगानेर टोंक रोड, जयपुर 302033

ई-मेलः strength@strengthengineering.in

आदेश द्वारा,

आर.के. लूथरा,
संयुक्त सचिव (पथ),
सा.नि. विभाग, राजस्थान
जयपूर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।